

Terms and Conditions

1. **BRIEF ROLE OF THE JOB** :- FLC के उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं FLC से संबन्धित कार्य करना।
2. **SERVICE CONDITION** :- Co-ordinator की नियुक्ति संविदा पर प्रारम्भ में दो वर्ष के लिए की जायेगी एवं प्रतिवर्ष समीक्षा उपरान्त कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एक वर्ष हेतु आगे नवीनीकरण किया जा सकता है।
3. **REMUNERATION** :-
A. Co-ordinator का मानदेय शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह निम्नानुसार दिया जायेगा:-

S.No.	Grade of the Retired Officer	Monthly Remuneration payable (fixed)
1.	JMGS-I	Rs. 35,000/-
2.	MMGS-II	Rs. 40,000/-
3.	MMGS-III	Rs. 40,000/-
4.	SMGS-IV	Rs. 45,000/-
5.	SMGS-V	Rs. 60,000/-

B. Co-ordinator द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए TA के लिए वास्तविक रूप से अदा गई राशि साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगी एवं DA के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु रु. 250/-, अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लिए रु. 350/-, शहरी क्षेत्र के लिए रु. 500/- दिये जायेंगे तथा एक मोबाइल हैण्डसेट (अधिकतम राशि रु 5000/- तक) एवं सीयूजी (CUG) सिम कार्ड आमजन से सुलभ सम्पर्क एवं बैंकिंग सेवाओं की जानकारी/उपलब्धता हेतु प्रदान किया जायेगा।

C. **TIMING OF FLC** :- सोमवार से शनिवार – 10.00 AM TO 5.00 PM
प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को अवकाश।

4. **TERMINATION OF CONTRACT** :- वित्तीय साक्षरता केन्द्र हेतु संविदा आधार पर चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को उनकी सेवाएँ संतोषप्रद नहीं होने पर बैंक द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या एक महीने का सकल पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं एवं इसी क्रम में चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी स्वयं भी किसी भी व्यक्तिगत कारणवश एक माह पूर्व नोटिस देकर अपनी सेवाएँ समाप्त कर सकता है।
5. **LEAVE FACILITY**:- चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को वित्तीय वर्ष में 15 दिन का अवकाश प्राप्त होगा। एक साथ 6 दिन से ज्यादा का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा एवं 15 दिन से ज्यादा अवकाश लेने पर एक कार्य दिवस की दर से अनुपातिक वेतनमान काटा जायेगा।
6. **REPORTING & MONITORING**:- अपने द्वारा किये गये कार्यों की रिपोर्ट मासिक आधार पर अपने क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रेषित करनी होगी, जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय पर समीक्षा की जायेगी।
7. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को बैंक में स्थाई/अस्थायी/ADHOC BASIS पर पद ग्रहण करने के क्लेम का अधिकार नहीं होगा।
8. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को निम्नलिखित औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी:-
 - A. मान्यता प्राप्त डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर बैंक को सुपुर्द करना होगा।
 - B. Contract की Terms and Condition से बाध्य होने की रु. 500/- के स्टॉम्प पर under taking बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।
 - C. अगर आप कहीं सेवाएँ दे रहे हैं तो नियोक्ता का No Objection Certificate प्रस्तुत करना होगा।
 - D. बैंक से सेवानिवृत्त होने के प्रमाण की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

9. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी Contract के समय बैंक की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा की नीति पर चलेगा।
10. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी वित्तीय साक्षरता केन्द्र में उपलब्ध Hardware, Laptop, Projector & Desktop तथा Related Applications की जानकारी प्राप्त करेगा व बैंक की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा।
11. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी वित्तीय साक्षरता केन्द्र व बैंक से सम्बन्धित सभी जानकारी की गोपनीय रखेगा एवं Non Disclosure Norms का अनुसरण करेगा।
12. कार्य की प्रकृति Contractual basis होने के कारण SC/ST/OBC/PH के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा।